श्री सारणेश्वर जी मेले में वित्तीय साक्षरता शिविर का हुआ भव्य आयोजन



सिरोही, 23 सितम्बर (का.सं.)। सहायक महाप्रबंधक, लीड बैंक कार्यालय, जयपुर श्री रतन लाल मीणा के निर्देशन में एक मेला – वित्तीय साक्षरता के नाम विशेष अभियान के अंतर्गत सिरोही के प्रसिद्ध श्री सारणेश्वर जी मेले में लीड बैंक सिरोही द्वारा एक विशाल वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मेले में आए ग्रामीणों, किसानों और युवाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सुरक्षित बैंकिंग के बारे में जागरूक करना था।शिविर में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आमजन को योजनाओं की जानकारी दी।

लीड बैंक सिरोही (सामाजिक सुरक्षा योजनाएं) – लीड बैंक अधिकारी श्री उम्मेद राम मीणा ने बताया कि हर गरीब व्यक्ति का बीमा होना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (436 रुपये में 2 लाख का बीमा), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (20 रुपये में 2 लाख का बीमा) और अटल पेंशन योजना के लाभ और खाता खोलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया।

लीड बैंक की डिजिटल पहल – श्री मीणा ने आगे बताया कि लीड बैंक द्वारा जिले में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से क्क्षु, त्त्क्र कोड और भीम एप का उपयोग करने की अपील की और कहा कि कैशलेस लेन-देन से समय की बचत होती है और पैसा भी सुरक्षित रहता है। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना पिन और पासवर्ड साझा न करें।

नाबार्ड की योजनाएं – डीडीएम नाबार्ड श्री गौतम थोरी ने किसानों के लिए नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही एफपीओ, वाटरशेड और कृषि बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।

सहकारी बैंक का योगदान – दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के निदेशक श्री पुनाराम सोयल ने बताया कि सहकारी बैंक द्वारा किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण और दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रामीण बैंक की जानकारी – राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री गौरव मोहे ने किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा ऋण योजना और स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण के बारे में विस्तार से बताया।

आरसेटी प्रशिक्षण – आरसेटी निदेशक श्री सवाराम मीणा ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए आरसेटी द्वारा दिए जा रहे ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, सिलाई जैसे नि:शुल्क प्रशिक्षणों के बारे में बताया।

असली-नकली नोट की पहचान – भारतीय स्टेट बैंक, सुभाष पार्क शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री राजेंद्र सिंह मीणा ने लोगों को नोटों में मौजूद सुरक्षा धागा और वाटरमार्क से असली-नकली नोट की पहचान करना सिखाया।

पुलिसकर्मी बनकर बुजुर्ग को दी धमकी, 5 लाख ठगे: इलाज के लिए मुंबई से जयपुर आए थे; वीडियो कॉल कर साइबर ठगों ने बनाया शिकार

जयपुर,वेब वार्ता ।जयपुर में एक बुजुर्ग को साइबर ठगों ने पुलिसकर्मी बनकर धमकी दी। इसके बाद बैंक खाते से 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित इलाज के लिए जयपुर आया था और रॉयल एम्पोरियल होटल में ठहरा हुआ था।

जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर ने बताया- पीड़ित जयंत नारायण (68) निवासी अंधेरी वेस्ट मुंबई इलाज के लिए जयपुर आए थे। जयंत नारायण 10 सितंबर को रॉयल एम्पोरियल होटल में ठहरे हुए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल आया।

कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और बुजुर्ग को धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी ने पीड़ित से कहा कि उसके बैंक खाते में मौजूद रकम जमा कराएं, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।बुजुर्ग ने पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। डराकर खाते से ट्रांसफर कराए 5 लाख

आरोपी ने पीड़ित को डराकर उसके बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। ठगों ने पुलिस कार्रवाई का डर दिखाते हुए बुजुर्ग पर दबाव बनाया और रकम अपने बताए खाते में जमा करवा ली। पुलिस अब मोबाइल नंबर, बैंक खाते और ट्रांजेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है।



कालतीर लिफ्ट परियोजना से 6.25 लाख लोगों को मिलेगा पेयजल

चंबल के अतिरिक्त पानी से भरेंगे पार्वती-रामसागर बांध

धौलपुर,वेब वार्ता ।धौलपुर जिले में कालतीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 800.04 करोड़ रुपए की मंजूर परियोजना के तहत बरसात के दौरान चंबल नदी में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को करीब 180 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट कर पार्वती और रामसागर बांधों को पूरा भरा जाएगा।

परियोजना पूरी होने के बाद 483 गांवों और बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा के शहरी क्षेत्रों की करीब 6.25 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 642.89 करोड़ के काम का आदेश जारी सरमथुरा तहसील के कालतीर गांव में प्रस्तावित इस परियोजना के लिए 800.04 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 642.89 करोड़ रुपए के कार्य का आदेश जारी किया गया। परियोजना का निर्माण कार्य 25 मई 2023 को शुरू हुआ था और वर्तमान में निर्माण कार्य जारी है। 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, दो पंप हाउस बनेंगे परियोजना के तहत करीब 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, दो पंप हाउस, एप्रोच चैनल और 132 केवी जीएसएस का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। चंबल नदी के अतिरिक्त पानी को लिफ्ट कर निर्धारित जलाशयों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ढांचागत काम किए जा रहे हैं। 9,123 मीटर पाइप पहुंचा, 530 मीटर लाइन बिछी निर्माण की प्रगति के तहत अब तक करीब 9,123 मीटर डक्टाइल आयरन पाइप परियोजना स्थल पर भेजे जा चुके हैं। करीब 600 मीटर पाइपलाइन के लिए खुदाई और 530 मीटर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा पाइपलाइन, पीएस-2 फाउंडेशन तथा आवासीय और गैर-आवासीय भवनों समेत अन्य निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। 483 गांवों और तीन शहरों को मिलेगा फायदा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार, परियोजना से 483 गांवों और बाड़ी, बसेड़ी व सरमथुरा के शहरी क्षेत्रों की करीब 6.25 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, सैंपऊ और धौलपुर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। बरसाती पानी का होगा बेहतर इस्तेमाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य बरसात के दौरान चंबल नदी में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को उपयोग में लाना है। परियोजना पूरी होने के बाद इस पानी को लिफ्ट कर जलाशयों में संग्रहित किया जा सकेगा और जरूरत के अनुसार पेयजल आपूर्ति में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता को लंबे समय करने में मदद मिलेगी।



उदयपुर में एसटी के 15 प्रधान बनेंगे

1 सीट अनारक्षित ओपन रखी गई



उदयपुर, 23 सितम्बर (का.सं.)। उदयपुर में बुधवार को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इनमें एसटी को सबसे ज्यादा 15 सीटें आरक्षित की गईं। इनमें 7 सीटें एसटी महिला के लिए रिजर्व रहेंगी। वहीं, एससी को सिर्फ 1 सीट मिली। महिलाओं के लिए कुल 10 सीटें रिजर्व हुई हैं।

प्रधान पद के लिए बड़गांव अनारक्षित ओपन, घासा प्रधान एससी ओपन और भींडर, वल्लभनगर और मावली में अनारक्षित महिला का प्रधान आरक्षित हुआ है। लॉटरी में शामिल हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस जिले में ओबीसी प्रधान की सीट नहीं होने पर सवाल उठाए तब एडीएम सिटी ने नियमों की जानकारी देते हुए मापदंड सामने रखते हुए उनकी जिज्ञासा दूर की। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण पहले ही 13 अगस्त को पूरा किया जा चुका है। उदयपुर का जिला प्रमुख इस बार अनारक्षित ओपन के लिए आरक्षित हुआ है, जबकि पिछले कार्यकाल में यह सीट अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व थी।

माउंट आबू की सृष्टि गिरी ने एथलेटिक्स में जीता गोल्ड

अंडर-14 गोला फेंक में रही टॉपर, डिस्कस थ्रो में पदक; SGFI के लिए चयन

माउंट आबू, 23 सितम्बर (का.सं.)। केन्द्रीय विद्यालय माउंट आबू की छात्रा सृष्टि गिरी ने राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अंडर-14 आयु वर्ग के गोला फेंक में स्वर्ण पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता। इस बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर सृष्टि गिरी का स्त्सस्न्न्ढ्ढ के लिए भी चयन हुआ है।

यह राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2026 केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ने आयोजित की थी। इसका आयोजन 17 से 21 सितंबर तक केरल के त्रिवेंद्रम में हुआ। इस प्रतियोगिता में केन्द्रीय विद्यालय माउंट आबू की 4 छात्राओं ने जयपुर संभाग की टीम का प्रतिनिधित्व किया। इनमें दिव्या कंवर, रिया मनोला, दक्षिता और सृष्टि गिरी शामिल थीं।

11 केवी लाइन से टकराई ट्रैक्टर की मशीन

करंट लगने से 3 किसान झुलसे, ट्यूबवेल की मोटर निकालते समय हादसा

बारां,वेब वार्ता ।बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में रामनगर-रेलावन लाइन पर भभूका गांव के पास खेत में सिंचाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ट्यूबवेल की पानी की मोटर निकालते समय ट्रैक्टर में लगी मशीन ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन से छू गई। इससे करंट फैल गया और तीन किसान गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में ट्रैक्टर के टायर भी जल गए। मोटर निकालते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, किसान ट्रैक्टर में लगी मशीन की मदद से खेत में ट्यूबवेल की मोटर निकाल रहे थे। इसी दौरान मशीन का ऊपरी हिस्सा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। लाइन के संपर्क में आते ही तेज करंट मशीन और ट्रैक्टर में फैल गया। इसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे तीन किसान गंभीर रूप से झुलस गए।

हिमाचल में पोल्ट्री क्रांति: 62 करोड़ के बजट से बनेंगे होंगे 1000 कमर्शियल फार्म, मिलेगी 10.35 लाख तक सब्सिडी



शिमला,वेब वार्ता । हिमाचल के गांवों में अब सेब बागवानी और नकदी फसलों के साथ पोल्ट्री भी बड़े स्वरोजगार का जरिया बनेगी। पशुपालन विभाग ने कंप्रेहेंसिव हिमाचल इंटीग्रेटेड कमर्शियल पोल्ट्री स्कीम (सीएचआइसी) के तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 1000 व्यावसायिक ब्रायलर पोल्ट्री यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना पर 61.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें पहले वर्ष 50 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य है। विभाग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। योजना में किसानों के साथ ग्रामीण युवा, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और सहकारी समितियों को जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों को पूंजी लागत पर 30 प्रतिशत बैंक-एंड सब्सिडी, अधिकतम 10.35 लाख रुपये तक मिलेगी। इसके साथ ही बैंक ऋण पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज राहत भी दी जाएगी, जिससे बड़े निवेश की बाधा कम करने का प्रयास किया गया है। योजना का उद्देश्य पंजाब और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों से चिकन की निर्भरता घटाना भी है। सीएचआइसी के तहत पोल्ट्री यूनिट को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। छोटे यूनिट में 3000 से 5000, मध्यम में 6000 से 10 हजार और बड़े यूनिट में 10 हजार से अधिक पक्षी रखे जा सकेंगे। आधुनिक पर्यावरण नियंत्रित शेड और जैव-सुरक्षा मानकों पर जोर रहेगा।

लाख रुपये तक मिलेगी 30 प्रतिशत सब्सिडी, मिलेगी राहत: यूनिट पहले वर्ष स्थापित करने का लक्ष्य, प्रदेश में विभाग ने दिशानिर्देश किए जारी सरकार की योजना राज्य में पोल्ट्री उत्पादन का मजबूत ढांचा खड़ा करने की है, ताकि अन्य राज्यों से चिकन और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति पर निर्भरता घटे। योजना से ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए गांव में ही व्यावसायिक गतिविधि और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। -चंद्र कुमार, पशुपालन मंत्री।

चूजों के दाने और दवा तक के लिए कंपनी देगी पैसे: चूजे से दाने और दवा तक इंटीग्रेटर माडल योजना में इंटीग्रेटर आधारित माडल अपनाया जा रहा है। विभाग द्वारा चयनित, पंजीकृत इंटीग्रेटर (कंपनी) किसानों को एक दिन के चूजे, दाना, दवाएं, टीके और तकनीकी-पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएंगी। पक्षी तैयार होने के बाद उन्हें वापस खरीदने की व्यवस्था भी इंटीग्रेटर माडल में होगी, जिससे किसानों को बाजार तलाशने की परेशानी कम होने की उम्मीद है। पशुपालन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह योजना में सुविधाकर्ता और क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाएगा, लेकिन किसी व्यावसायिक समझौते का पक्षकार नहीं होगा।

जिले की 11 पंचायतों में 5 महिला प्रधान बनेगी

चित्तौड़गढ़, 23 सितम्बर (का.सं.)। चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। सोमवार को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और पंचायत समिति प्रधान पदों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की गई।

जिला कलेक्टर डॉ. मंजू चौधरी, एडीएम प्रशासन दिनेश धाकड़ और एडीएम रावतभाटा राजलक्ष्मी गहलोत की मौजूदगी में बच्चों के हाथों लॉटरी निकाली गई। आरक्षण तय होने के बाद अब जिले में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

जिला प्रमुख पद अनारक्षित महिला, 35 जिला परिषद सदस्य भी चुने जाएंगे

जिले में जिला प्रमुख पद के लिए 13 अगस्त को ही लॉटरी निकाली जा चुकी थी। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला प्रमुख का पद अनारक्षित महिला के लिए तय किया गया है। परिसीमन के बाद जिले में 35 जिला परिषद सदस्य, 11 पंचायत समिति प्रधान और 199 पंचायत समिति सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा 359 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 3159 वार्ड पंचों के चुनाव भी होंगे।

9.73 लाख मतदाता करेंगे पंचायत चुनाव में मतदान

चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत चुनाव के लिए कुल 9 लाख 73 हजार मतदाता हैं। इनमें 4 लाख 86 हजार 733 पुरुष, 4 लाख 86 हजार 255 महिला और 12 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

ये मतदाता जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव करेंगे। जिले में सबसे ज्यादा मतदाता चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में हैं, जहां 1 लाख 55 हजार 262 मतदाता हैं। जबकि सबसे कम मतदाता भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में 64 हजार 707 हैं।

विंटेज कार में सवार होकर निकले मेयर-डिप्टी मेयर

आभार रैली में जीते हुए पार्षद ही शामिल हुए, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर ने बनाई दूरी

उदयपुर, 23 सितम्बर (का.सं.)। उदयपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित पार्षद और मेयर व डिप्टी मेयर चुने जाने के बाद आज शहर में आभार यात्रा निकाली गई। इस दौरान मेयर पासर सिंघवी और डिप्टी मेयर दिनेश भट्ट विंटेज कार में सवार होकर निकले। उनके साथ उसी कार में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व सभापति रविन्द्र श्रीमाली भी मौजूद रहे।

इस दौरान अलग-अलग वाहनों में बीजेपी के पार्षद और उनके परिजन भी रैली में साथ रहे। ढोल-नगाड़े और सॉन्ग की धुन में रैली निकाली गई। इसमें केवल भाजपा से जीते पार्षद ही शामिल हुए। यात्रा निगम परिसर से शुरू होकर सूरजपोल, धानमंडी, बापू बाजार और देहलीगेट होते हुए वापस निगम परिसर पहुंचकर सम्पन्न हुई। उदयपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित पार्षद प्रमोद सामर यात्रा में कहीं भी नजर नहीं आए। यात्रा रवानगी के बाद वे नगर निगम परिसर में अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण यात्रा में समय पर शामिल नहीं हो सके। वहीं, दूसरी ओर इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालयः- 9वीं मंज़िल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः-www.pnbhousing.com

शाखा का पताः प्लॉट नंबर 7ए, भीलवाड़ा रोड, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ - 312001, राजस्थान

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटीकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मासिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोज्न एनकम ब्रैस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
HOU/RCHI/0523/1113503 कुंदन कुंदन / मंजू देवी **B.O.:** रोशनी_चित्तौड़गढ़	रु. 22,83,199.95 और 14.11.24	भौतिक	प्लॉट नंबर 18, ग्राम सामरी, ग्राम पंचायत तहसील चित्तौड़गढ़, सामरी, **चित्तौड़गढ़, राजस्थान=312001**	रु. 1998000	रु. 199800	08.10.26	रु. 10,000	05-10-26, 10:00 एएम से 5:30 पीएम	09.10.26 02.00 पीएम से 03.00 पीएम	*शून्य/ज्ञात नहीं

*18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं। (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको **श्री पुष्पेंद्र सिंह एवं टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेलः auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com** देखें।

स्थानः- रोशनी_चित्तौड़गढ़, दिनांकः- 23.09.2026 — **एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

pnb Housing Finance Limited

पंजी. ऑफिसः 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः 011.23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालयः पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, मेवाड़ मोटर्स बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 17-18, तोरण बारी, उदयपुर-313001

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अध्याय III की धारा 13(2) के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित, दिनांकानुसार संशोधित, के तहत नोटिस।

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे ''पीएनबीएचएफएल'' कहा जाएगा) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जाएगा) के अध्याय III की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया था। यह नोटिस उदयपुर स्थित हमारे कार्यालय, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय मंजिल, मेवाड़ मोटर्स बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 17-18, तोरण बाड़, उदयपुर -313001, राजस्थान के माध्यम से जारी किया गया था। उक्त मांग नोटिस हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, आप सभी नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों को जारी किया गया था क्योंकि आपके खाते को किश्तों/ब्याज का भुगतान न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किश्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे उल्लेखित है। इसके अलावा, कारणों सहित, हमारा मानना है कि आप डिमांड नोटिस की तामील से बच रहे हैं और इसलिए डिमांड नोटिस का यह प्रकाशन, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी आवश्यक है, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस डिमांड नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को उपरोक्त राशि, अद्यतन ब्याज और शुल्कों सहित अदा करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ताओं और गारंटरों की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा लेना भी शामिल है।

आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप पीएनबी एचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि केवल सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक ही प्रस्तुत/भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि पीएनबी एचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसके बाद आप सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के हकदार नहीं होंगे। **इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत आपको बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित आस्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।**

ऋण खाता नंबर शाखा	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम	गारंटर(ओं) का नाम और पता	संपत्ति(यॉं) बंधक	मांग सूचना की तिथि	राशि O/s तारीख पर मांग नोटिस
NHL/ RUDA/ 0223/ 1083581 बी.ओ. उदयपुर	**उधारकर्ताः श्री/श्रीमती जगदीश गुर्जर,** फोजा बा का खुवा, लोपड़ा, मावली, पीएच 13969, उदयपुर, राजस्थान, भारत 313203 / राणाप्रताप नगर, रेलवे स्टेशन, उदयपुर, पीएच 13969, उदयपुर, राजस्थान, भारत, 313001 / पट्टा संख्या 55773, आराजी नंबर 1324, पंचायत समिति मावली, गांव और ग्राम पंचायत लोपड़ा, मावली, उदयपुर, राजस्थान, 313203, **1 सह-उधारकर्ताः श्री/श्रीमती रेखा गुर्जर,** फोजा बा का खुवा, लोपड़ा, मावली, राजस्थान, भारत, 313203 / पट्टा संख्या 55773, आराजी संख्या 1324, पंचायत समिति मावली, गांव और ग्राम पंचायत लोपड़ा, मावली, उदयपुर, राजस्थान, 313203	**नही**	पट्टा संख्या 55773, आराजी संख्या 1324, पंचायत समिति मावली, गांव और ग्राम पंचायत लोपदा, मावली, उदयपुर, राजस्थान, 313203	**07 सितम्बर, 2026**	**रू. 4,09,090.48** (चार लाख नौ हज़ार नब्बे रुपये और अड़तालीस पैसे मात्र)

स्थानः राजस्थान | दिनांकः 24.09.2026 — **हस्ताक्षर/- अधिकृत अधि[redacted]नबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

बांबे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को चेताया, इंटरनेट पर शेयर न करें कोर्ट के दस्तावेज



मुंबई,वेब वार्ता । बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मनी लांड्रिंग के आरोपित शराब कारोबारी विजय माल्या को चेतावनी दी कि वह मामला लंबित रहने के दौरान कोर्ट के दस्तावेज इंटरनेट मीडिया पर साझा न करें। जस्टिस मिलिंद जाधव को ईडी के वकील आशीष मेहता ने बताया कि माल्या की याचिका के जवाब में जांच एजेंसी ने आठ सितंबर को हलफनामा दायर किया था और उसी दिन माल्या की कानूनी टीम को इसकी प्रति दी थी।

मामले की सुनवाई नौ सितंबर को होनी थी, लेकिन माल्या ने आठ सितंबर की शाम को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर हलफनामा अपलोड कर दिया था। जस्टिस जाधव ने माल्या के वकील अमित देसाई से कहा, 'यह अच्छा व्यवहार नहीं है। यह गंभीर मामला है। कृपया उन्हें (माल्या को) भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दें। वह जो कुछ भी दाखिल करना चाहते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'कृपया अपने मुवक्किल को समझाएं, यह तरीका सही नहीं है... इससे कोर्ट की कार्यवाही की अहमियत कम होती है।

मरीजों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता, कर्नाटक में नकली दवाओं की जांच के बीच फाइजर ने दी सफाई

बेंगलुरु,वेब वार्ता । नकली दवाओं के चलन को लेकर कर्नाटक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (स्न्रष्ठ) की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए फाइजर ने मंगलवार को कहा कि मरीजों की सुरक्षा और प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। कर्नाटक के हेल्थ रेगुलेटर ने रविवार को कहा कि उसने नकली दवाओं के कथित वितरण और बिक्री के मामले में रिटेलर्स और होलसेलर्स के 16 ड्रग लाइसेंस रद कर दिए हैं और आठ अन्य को सस्पेंड कर दिया है।

पिछले एक महीने से चल रहा कामः कंपनी ने मंगलवार देर शाम एक बयान में कहा, 'फाइजर में हमारे लिए मरीजों की सुरक्षा और प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है।' फाइजर ने दावा किया है कि जब से यह मामला उसके ध्यान में आया है तब से वह पिछले एक महीने से अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी ने आगे कहा, 'तब से हमने जांच में मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें कन्फ्यूजन से बचने के लिए बाजार से फाइजर के उन बैच को हटाना शामिल है जिनके बैच नंबर की नकल की गई थी। साथ ही असली और नकली प्रोडक्ट के बीच फर्क करने में मदद करना और प्रभावित बैच से जुड़ी तकनीकी व अन्य जरूरी जानकारी देना भी शामिल है। फाइजर ने कहा कि वह अधूरे सवालों को सुलझाने के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि उसका ध्यान मरीजों की सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य की रक्षा और हेल्थकेयर सिस्टम में भरोसा बनाए रखने पर है।

कर्नाटक एफडीए की कार्रवाई

कर्नाटक एफडीए ने यह कार्रवाई 18 अगस्त को अपने ड्रग-एनफोर्समेंट विंग की जांच के बाद की, जब बेंगलुरु दक्षिण जिले के बिदादी इलाके में कुरुबारकेरानाहल्ली के एक फार्महाउस पर बिना लाइसेंस के दवा की रीपैकिंग और रीलेबलिंग का कथित काम पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान लगभग 5.05 करोड़ रुपये मूल्य की नकली दवाएं, मशीनरी और प्रिंटिंग का सामान जब्त किया गया। एफडीए ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पड़ोसी राज्यों से खरीदी गई सस्ती दवाओं को कथित तौर पर नई शीशियों में दोबारा पैक किया जाता था और उन पर मल्टीनेशनल कंपनियों की महंगी जीवन-रक्षक दवाओं के लेबल लगाए जाते थे।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, प्लाट सं. 28, विवेकानन्द कॉलोनी के पूर्व की तरफ अहमदाबाद बाय पास, सिरोही से मुद्रित व प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी म[redacted]पुर में निपटाये जायेगें।
प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णत: व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com